इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सं0: इ0रा0वि0वि0 / कु0स0का0 /483/2017 दिनांक 21.04.2017

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय की सत्र 2017–18 के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के वाहनों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु सक्षम फर्मों से पृथक–पृथक सील बन्द निविदायें दिनांक 28.04.2016 को अपरान्ह 3.00 तक वित्त अधिकारी कार्यालय कक्ष में रखे टेण्डर बॉक्स में आमंत्रित की जाती हैं।

प्रत्येक निविदा से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www. alldstateuniversity.org पर उपलब्ध हैं। निविदायें उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे वित्त अधिकारी कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी।

(कुलसचिव)

(संजय कुमार)
कुल सचिव

संदर्भ सं.: इ0रा0वि0वि0 / कु0स0का0 / 483 / 2017 दिनांकः 21 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्पादक, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापन को अपने दैनिक समाचार पत्र के **संस्करण** में न्यूनतम आकार X cm. में प्रकाशित करते हुए विज्ञापन की मूल प्रति के साथ बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने का कष्ट करे।
2. वित्त अधिकारी, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
3. उपकुलसचिव को इस निर्देश के साथ कि वह उक्त विज्ञापन को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड तथा सूचना बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।

(संजय कुमार)
कुल सचिव

"विभिन्न प्रकार के वाहनों को किराये पर उपलब्ध कराया जाना"

(तकनीकी बिड)

निविदा प्रपत्र का विवरण निम्नवत् हैः–

1. ट्रैवेल्स एजेंसी का नाम व पता : ....
....
....
2. ट्रैवेल्स एजेंसी की पंजीकरण संख्या : ....
एवं पंजीकरण प्रपत्र की प्रमाणित छायाप्रति
3. ट्रैवेल्स एजेंसी के स्वामी का पैन नं0 : ....
4. वित्तीय वर्ष 2015–16 में जमा सर्विस टैक्स रिटर्न प्रपत्र छायाप्रति ....
5. वित्तीय वर्ष 2015–16 में जमा आयकर रिटर्न प्रपत्र छायाप्रति ....
6. निविदा प्रपत्र क्रय करने सम्बन्धी रू0 1,000/– (रूपये एक हजार मात्र) का विवरण–
राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/रसीद सं0 .... दिनांक .... बैंक का नाम ....
7. सुरक्षा धनराशि रू0 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) का विवरणः
राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/रसीद सं0 .... दिनांक .... बैंक का नाम ....

आवेदक के हस्ताक्षर

मो0 नं0 ....

"विभिन्न प्रकार के वाहनों को किराये पर उपलब्ध कराया जाना"

विश्वविद्यालय की सत्र 2017–18 विश्वविद्यालय के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के वाहनों की आपूर्ति हेतु सक्षम फर्मों से पृथक–पृथक सील बन्द निविदायें दिनांक 28.04.2017 को अपरान्ह 3.00 तक वित्त अधिकारी कार्यालय कक्ष में रखे टेण्डर बॉक्स में आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www. alldstateuniversity.org **पर उपलब्ध हैं। निविदायें उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे वित्त अधिकारी कार्यालय कक्ष** में खोली जायेगीं।

निविदा सम्बन्धी नियम एवं शर्तें:–

1. विश्वविद्यालय द्वारा निविदा के आधार पर योजित ट्रैवेल्स एजेंसी द्वारा रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद से अनुबन्ध करना होगा।
2. योजित ट्रैवेल्स एजेंसी द्वारा रू0 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) की सुरक्षा धनराशि एवं रू. 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक पृथक–पृथक रूप में जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो तथा वित्त अधिकारी, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना सुरक्षा धनराशि के आपकी निविदा पर विचार करना संभव नही होगा।
3. वाहन का पंजीकरण व कम्प्रीहेंसिव बीमा अद्यतन होना अनिवार्य है। साक्ष्य हेतु प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
4. चालक को सम्पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। चालक के पास नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
5. योजित अवधि में वाहन का रख–रखाव तथा उस पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय एजेंसी को वहन करना होगा।
6. एजेंसी के चालक का वेतन तथा अन्य सभी प्रकार का दायित्व एजेंसी का होगा।
7. प्रत्येक चरण के कार्य समाप्त होने के पश्चात् अनुबन्ध के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने होगें तथा अलग–अलग कार्य का अलग–अलग बिल प्रस्तुत करना होगा। बिलों में सम्बन्धित कार्यों का विधिवत उल्लेख करना होगा एवं बिल सम्बन्धित अधिकारी/सहायक द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
8. निविदा की अवधि अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। निविदा अवधि में किराये की दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नही होगा।
9. निविदा हेतु सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि केवल बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में ही मान्य होगी। सुरक्षा धनराशि के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0/बियरर चेक/आर्डर चेक/एकाउंट पेयी चेक संलग्न किये जाने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
10. एजेंसी को किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. एजेन्सी को तकनीकी बिड के साथ वर्ष 2015–16 का जमा आयकर रिटर्न एवं सर्विस टैक्स रिटर्न प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न करना अपेक्षित है।
12. ट्रैवल्स एजेंसी के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
13. ट्रैवल्स एजेंसी के स्वामित्व में कितनी गाड़ियां हैं, उनका विवरण करना अनिवार्य है।

14. विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति जी को यह अधिकार है कि वह एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये, कभी भी किस भी स्तर पर निरस्त कर दे। किसी भी प्रकार से अपूर्ण निविदा स्वीकार नही होगी।

15. फर्म द्वारा दरें संलग्न प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जायें अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

16. निविदा के साथ संलग्न किये जा रहे समस्त प्रपत्रों को निविदादाता द्वारा प्रमाणित व हस्ताक्षरित होना चाहिए।

17. भार–वाहन से सम्बन्धित वाहनों की दर का उल्लेख सम्बन्धित वाहन की भार–क्षमता जो परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत है सहित करना होगा। किसी भी दशा में अधिक लोडिंग की अनुमति नही दी जायेगी।

18. भार–वाहक वाहनों से सामान्यतया विश्वविद्यालय की परीक्षा में नोडल केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों पर कोरी उत्तर पुस्तिकायें पहॅुचाई जायेगी तथा परीक्षा समाप्ति पर उन लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को नोडल केन्द्र/परीक्षा केन्द्र से मगांने का कार्य लिया जायेगा।

19. परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को ले जाना तथा वापस लाना एक महत्वपूर्ण कार्य है अतएव इस कार्य में विलम्ब या असावधानी क्षम्य नही होगा तथा किसी भी चूक के लिए ट्रैवेल्स एजेंसी पूर्णतः उत्तरदायी होगी।

20. किसी भी चूक/उत्तरदायी कृत्य के लिए दण्ड स्वरूप प्रथमतः जमा सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ट्रैवेल्स एजेंसी का पंजीकरण समाप्त करवाने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी तथा एजेंसी को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

21. विश्वविद्यालय को हानि (आर्थिक/प्रतिष्ठा) की स्थिति पहुंचाने की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी तथा हानि की प्रतिपूर्ति के लिए एजेंसी की सम्पत्ति से तथा अन्यथा की स्थिति में एजेंसी के स्वामी से वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

22. हानि के आकलन के लिए विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

23. बाजार दर से न्यून दर देने पर वाहनों की उपलब्धता प्रभावित होने की अथवा किसी अन्य सुविचारित अपकृत्य किये जाने की सम्भावना के अन्तर्गत उनके निविदा दरों को अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा तथा वाहन का फर्म द्वारा दरों का उल्लेख करते समय विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। प्रतिदिन के स्थिर किराये के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर ईधन सहित दरों को उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति में उन पर विचार नही किया जायेगा।

24. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी का निर्णय अंतिम होगा तथा उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

कुलसचिव